



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15703

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या- 677/2026**

श्रीमती कुलदीप कौर

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं ३ अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुशांत मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशांत मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस.
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता की मां को शुरू में 17.07.1979 को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मोहम्मदाबाद में रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, मदर रिट याचिकाकर्ता की वर्ष 2019 में मृत्यु हो गई, हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ और अन्य लाभ जो कानून के तहत स्वीकार्य हैं, उन्हें बढ़ाया नहीं गया है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चौथे प्रत्यर्थी, जिला परीक्षा अधिकारी, आगरा, जिला आगरा द्वारा किया जाएगा।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को **06.02.2026** तक चौथे प्रत्यर्थी, जिला परीक्षा अधिकारी, आगरा, जिला आगरा के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, चौथा प्रत्यर्थी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का फैसला करेगा।

**21 जनवरी, 2026**

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.